(4)

ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 03/20–21

ममता देवी –बनाम–राज्य

तारीख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरः–	
	आवेदिका ममता देवी, पति दीपक कुमार वर्णवाल, ग्राम बरकट्ठा, थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–बरकट्ठा, थाना–बरकट्ठा, थाना नं0–114, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 299, प्लॉट सं0 3910 रकवा 5.75 डी0 एवं प्लॉट सं0 3916 रकवा 3.25 डी0 बिक्रय पत्र सं0 2300 दिनांक 06.12.2019 द्वारा बिक्रेता गीता विश्वकर्मा से भूमि क्रय की गयी है, जिसपर आवेदिका का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 375R27/2019-20 एवं 32R27/2020-21 द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का मंतव्य आवेदन पूर्व में वाद सं0 375/2019–20 अंचल स्तर पर अस्वीकृत किया गया था। आवेदक उपसमाहर्त्ता, बरही के समक्ष दाखिल खारिज हेतु अपील आवेदन कर सकते हैं। अंचल अधिकारी का अस्वीकृति का कारण– राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में अस्वीकृत किया जाता है। वाद सं0 375/2019–20 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि में आपसी बंटवारे से संबंधित विवाद है अतः दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। सुजीत कुमार विश्वकर्मा द्वारा दिनांक 07.11.2020 को एक आवेदन समर्पित किया है कि मौजा बरकट्ठा, खाता सं0 299, प्लॉट सं0 3910, रकबा 09.00 डी0 भूमि का दाखिल खारिज रोकने हेतु आवेदन अंचल बरकट्ठा में दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा दिया गया था। क्रेता सुनीता देवी ने उक्त भूमि मेरे गोतिया कलावती देवी पति स्व0 मनेश विश्वकर्मा से खरीद किया था। क्रेता सुनीता देवी से मेरा समझौता हो गया है। तथा विक्रेता कलावती देवी से मेरा कोई जमीनी विवाद नहीं है। अतः दाखिल खारिज अपील सं0 04/2020 स्वीकृत करते हुए सुनीता देवी का दाखिल खारिज आवेदन स्वीकृत किया जाय। आवेदक सुजीत कुमार विश्वकर्मा द्वारा ममता देवी पति दीपक कुमार वर्णवाल द्वारा क्रय की गयी भूमि से इतर सुनीता देवी द्वारा क्रय की गयी भूमि से संबंधित अनापति आवेदन दाखिल किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 157, दिनांक 15.10.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी बरकट्ठा से की गयी थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी के पत्रांक 153, दिनांक 13.03.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खेसरा सं0 3910, रकबा 5.75 डी0 क्रेता ममता देवी पति दीपक कुमार वर्णवाल के शांति पूर्वक दखल बताया गया एवं खेसरा सं0 3916, रकबा 3.25 डी0 ममता देवी पति दीपक कुमार वर्णवाल द्वारा केवाला सं0 1086, दिनांक 11.07.2020 द्वारा शांति देवी पति स्व0 विशेश्वर विश्वकर्मा साकिन बरकट्ठा को बिक्री की गयी है, जिस पर शांति देवी का शांतिपूर्वक दखल बताया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सुजीत कुमार विश्वकर्मा	

का इस वाद से कोई संबंध नहीं है तथा खेसरा सं0 3916, रकबा 3.25 डी0 भूमि पर शांति देवी पति स्व0 विशेश्वर विश्वकर्मा का दखल कब्जा है। मात्र खेसरा सं0 3910, रकबा 5.75 डी0 पर ही क्रेता ममता देवी पति दीपक कुमार वर्णवाल का दखल कब्जा है।

अतएव अंचल अधिकारी बरकट्ठा को निदेशित किया जाता है कि आवेदिका ममता देवी पति दीपक कुमार वर्णवाल ग्राम बरकट्ठा थाना सं0 114, खाता सं0 299, प्लॉट सं0 3910, रकबा 5.75 डी0 पर दखल कब्जा के आधार पर तथा विक्रेता के अन्य वारिशानों से अनापति प्राप्त कर जाँचोपरांत सही पाया जाता है तो नियमानुसार ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए पंजी–II में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से खोलते हुए शुद्धि पत्र एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

Km 15/04/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

Km 15/04/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2023.02.08 15:00:50 +05:30
Location: 192.168.1.41